## न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर

## बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

**मुकदमा संख्या 04/18 राजस्व अपील**

1.गवरा बेवा तुलछाराम 2. मंगतुराम उर्फ रामदेव 3. चनणा पुत्र/पुत्री तुलछाराम जाति माली निवासीगण केसरदेसर कुआ, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर

—अपीलान्टान

: ब ना म :

1. कामड़िया (मृतक) 1/1. मूली देवी पत्नी कामड़िया, 1/2. ओम प्रकाश 1/3. देवकिशन, 1/4. विष्णु, 1/5. किरण, 1/6. मोहनी पुत्र/पुत्री कामडिया जाति माली निवासी केसरदेसर कुऐं के पास, बीकानेर
2. तोलाराम (मृतक) 2/1. गोरधन 2/2. गिरधारी 2/3. खुमाराम, 2/4. ओम प्रकश, 2/5. आशा, 2/6. पुष्पा पुत्र/पुत्री तोलाराम जाति माली निवासी केसरदेसर कुआ तहसील व जिला बीकानेर 2/7. देवकिशन (मृतक) 2/7/1. गवरा पत्नी देवकिसन 2/7/2. गोपी 2/7/3. रणजीत, 2/7/4. गंगा पुत्र/पुत्री देवकिसन जाति माली निवासी केसरदेसर कुऐं के पास, बीकानेर
3. अखी पत्नी तुलछाराम (मृतक) 3/1. जेठी, 3/2. सुन्दर, 3/3. बाधू 3/4. बरजी, 3/5. भगवती पुत्रियां अखी पत्नी तुलछाराम जाति माली निवासी केसरदेसर कुआ, बीकानेर
4. जेठी पत्नी ईशरराम जाति माली निवासी धवडियान मौ. बीकानेर
5. सुन्दर पत्नी ओम प्रकाश जाति तंवर निवासी बागवनों का मौहल्ला, बीकानेर
6. बाधु पत्नी भंवरलाल 7. बरजी पत्नी आत्माराम जाति माली निवासी भैरूदान जी बंगले के पास, बीकानेर
8. भगवती पत्नी मोहनलाल जाति माली निवासी केसरदेसर कुऐं के पास, बीकानेर
9. स्टेट जरिये उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नंबर 1 जिला बीकानेर

—रेस्पोडेन्टान

**अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट,1956**

उपस्थितिः—

1. अपीलान्ट के अधिवक्ता श्री सत्यनारायण तिवाड़ी।।
2. रेस्पोडेण्टान के अधिवक्ता श्री सत्यपाल सिंह शेखावत।

: निर्णय :

**दिनांक 11.03.2020**

1. अपीलान्टान द्वारा यह अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 17.08.1997 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बीकानेर जिसके द्वारा गलत आधारो पर इंतकाल संख्या 251 दर्ज करने के आदेश दिये गये, से व्यवस्थित होकर न्यायालय उपायुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर के समक्ष दिनांक 21.05.2008 को प्रस्तुत की। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण अपील इस न्यायालय को हस्तातरित होकर प्राप्त हुई।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर उभयपक्ष व अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

जिला कलक्टर, बीकानेर

3. तदन्तर उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट के पिता/पति तुलछाराम के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम कानासर स्थित खेत ख.नं. 739 तादादी 56 बीघा 10 बिस्वा भूमि में अपीलान्ट का 1/3 हक हिस्सा चला आरहा है। तुलछाराम ने पहले अखी रेस्पेडेन्ट संख्य 3 से शादी की थी, जो तुलछाराम के छोडकर चली गई। तुलछाराम ने दूसरी शादी अपीलान्ट संख्य 1 से की जिसके नुत्फे से अपीलाण्ट सं. 2 व 3 पैदा हुए। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मृतक तुलछाराम के अपीलाण्टान प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हुए परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वारिसान की जांच किये बिना आदेश जैर अपील दर्ज कर दिया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलाण्टान को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। दिनांक 13.04.08 को मौके पर जाने पर जानकारी हुई। जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है जिसके समर्थन में धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत इंतकाल सं. 251 विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

5. इसके खण्डन में रेस्पोडेण्टान के अधिवक्ता की बहस है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारान को सुनकर उनकी उपस्थिति में अपीलाधीन आदेश द्वारा इंतकाल सं. 251 दर्ज किया है। तत्समय किसी भी पक्षकारान द्वारा आपत्ति नहीं की गयी थी। मौके पर कब्जा काश्त की जांच की जाकर समस्त वारिसान को सुनकर आदेश पारित किया गया था। अतः जैर अपील आदेश विधि विरूद्ध नहीं होने के कारण निरस्त योग्य नहीं है। रेस्पोडेण्टान के विद्वान अधिवक्ता की यह भी बहस है कि अपीलाण्टान द्वारा अपीलाधीन आदेश की अपील निर्धारित समयावधि के पश्चात प्रस्तुत की है जो चलने योग्य नहीं है। खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष की बहस पर मन्न किया तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। अपीलाण्टान के अधिवक्ता ने अपील के साथ मियाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया हैं। रेस्पोडेण्टान के अधिवक्ता द्वारा मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के विरूद्ध काउण्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। अपील पत्रावली के संलग्न रिकार्ड के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलाण्टान के उत्तराधिकारियों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। नियमानुसार इंतकाल दर्ज करने से पूर्व समस्त वारिसो को नोटिस देकर सुनवाई एवं सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है तथा मज्में आम में व पंचायत मीटिंग में सभी सदस्यो की सहमति से तथा वारिसान की बाबत जांच करके ही निर्णय पारित करना आवश्यक है। अतः अपील अपीलाण्ट पुनः जांच कर निर्णय लेने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना हम न्यायोचित पाते है।

7. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्टान आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकल सं. 251 दिनाक 17.08.97 तहसीलदार बीकानेर को अपास्त करते हुए अपील अपीलान्ट इस निर्देश के साथ तहसीलदार (रा) बीकानेर को प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में प्रमाणित साक्ष्य प्राप्त कर विधिवत जांच कर विधिसम्मत आदेश पारित करें। उभयपक्ष को भी हिदायत दी जाती है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.04.2020 को उपस्थित होकर समस्त प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत करें।

8. निर्णय आज दिनांक **11.03.20** को हमारे द्वारा लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर

( कुमार पाल गौतम )
जिला कलक्टर, बीकानेर